दिनांक-19मार्च2020

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

निगम भिलाई क्षेत्र के अंतर्गत संचालित मॉल, चौपाटी, बाजार या अन्य स्थलों जहां चाट, पकोड़ा, फास्ट फूड तथा अन्य खाद्य वस्तु के विक्रय हेतु अस्थाई ठेलें लगाए जाते हैं यह सभी निगम क्षेत्र में आगामी आदेश होने तक होंगे बंद, निगमायुक्त ने जारी किया आदेश

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मॉल, चौपाटी, बाजार या अन्य स्थलों जहां चाट, पकौड़ा, फास्ट फूड तथा अन्य खाद्य वस्तुओं के विक्रय हेतु अस्थाई ठेले इत्यादि लगाए जाते हैं यह सभी बंद होंगे! इसके अलावा मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर, स्पा भी बंद रखा जाएगा इस बाबत निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है! नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए शासन से प्राप्त दिशा-निर्देश के अनुरूप निगम भिलाई द्वारा एहतियातन के तौर पर प्रारंभिक से कार्य किया जा रहा है! कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के समीप एवं अधिक आवाजाही वाले स्थलों पर वाशबेसिन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है इस व्यवस्था में इजाफा करने के निर्देश आयुक्त महोदय द्वारा दिए गए हैं! जन जागरूकता के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए एडवाइजरी से संबंधित पंपलेट,फ्लेक्स, होर्डिंग आदि लगाए जा रहे है!
कोचिंग सेंटर बंद निगम की टीम सतत निरीक्षण करते हुए कोचिंग सेंटर को बंद कराने की सूचना चस्पा कर रही है साथ ही कोचिंग सेंटरों को बंद कराने संचालकों से अपील किया जा रहा है!
मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण निगम क्षेत्र में आने वाले मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया जा रहा है! सूत्रों के आधार पर यह जानकारी मिली है कि मेडिकल स्टोर्स में एमआरपी से अधिक दर पर मास्क एवं सैनिटाइजर का विक्रय किया जा रहा है साथ ही इनके स्टाक होने के बावजूद इसे अतिरिक्त लाभ के उद्देश्य से विक्रय नहीं किया जा रहा है! ऐसे मेडिकल स्टोर्स में निगम की टीम दस्तक देकर छापामार कार्यवाही कर रही है!
होटल/प्रतिष्ठानों के संचालकों से अपील नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत संचालित होटल/प्रतिष्ठानों/रेस्टोरेंट के संचालकों से अपील है कि ऐसे प्रतिष्ठानों में आने वाले ग्राहकों के लिए अनिवार्य रूप से सैनिटाइजर/हैंडवाश रखें तथा वहां कार्यरत कर्मचारी को भी नियमित रूप से सैनिटाइजर/हैंडवाश का उपयोग करें इसका ध्यान रखें!!

जनसंपर्क अधिकारी